न्यायालय अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0— 304 सन् 2015
उर्मिला देवी ....वादनी
बनाम
सुनैना देवी व अन्य..........प्रतिवादीगण

दिनांक— 30.06.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 3 की ओर से आदेश 1 नियम 10 (2) वो धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 04.12.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 3 का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से साक्ष्य हेतु नियत चला आ रहा हैं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2019 को इंतनाई आवेदन दिया गया और कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया है। प्रस्तुत वाद की पूर्ण जानकारी के बावजूद वादनी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 06.09.2019 को श्रीमती सुनैना देवी एवं श्रीमती उर्मिला सिंह ने द्वारिका पाण्डेय पिता—स्व0 रामईकबाल पाण्डेय साकिन— इस्माइलचक, पो0 गोविन्द चक, थाना—सोनपुर, जिला सारण ने फरेबी बैनामा खाता सं0 149 खेसरा सं0 741 रकबा 1 कठा 10 धूर भूमि बिना हक के तामिला कर दिया है। वाद के दौरान जानबूझकर बनावटी दिखावटी बैनामा किया गया था। न्यायाहित में केता को प्रतिवादी के रूप मं पक्षकार बनाना आवश्यक है नहीं तो प्रतिवादी सं0 3 को काफी क्षति होगी। अतः निवेदन है कि न्यायहित में केता को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा की जाए।

वादी की ओर से आवेदन पर नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। वादी की ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद वादनी उर्मिला देवी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर वादपत्र के सिडियुल नं0 1 में वर्णित विवादित

भूमि में 1/3 हिस्सा का अलग तख्ता कायम कराकर दखल कब्जा के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है। सिडियुल नं0 1 वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि खाता सं0 60, 149, 61, 89 है। प्रतिवादी सं0 3 ने प्रस्तुत वाद में विवादित एराजी खाता सं0 149 खेसरा सं0 741 रकबा 1 कठा 10 धूर भूमि द्वारिका पाण्डेय को वादनी उर्मिला देवी एवं प्रतिवादिनी सुनैना देवी के द्वारा दिनांक 06.09.2019 को बैनामा कर देने की बात कही हैं। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से ब्रिकी पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादिनी सुनैना देवी एवं वादिनी उर्मिला देवी के द्वारा द्वारिका पाण्डेय पिता– स्व0 रामईकबाल पाण्डेय को खाता सं0 149 खेसरा सं0 741 रकबा 1 कठा 10 धूर भूमि बिक्री की गई है। ऐसी परिस्थिति में केता द्वारिका पाण्डेय को प्रस्तुत बंटवारा वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 3 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.12.2019 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 14.07.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।